



उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ – 226010

वेबसाइट- upsssc.gov.in

ई-मेल : online.upsssc@nic.in

विज्ञापन संख्या-25-परीक्षा/2026

सम्मिलित अवर अभियंता (विद्युत) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/25

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	12-10-2026
पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	06-11-2026
पंजीकरण/शुल्क जमा करने/ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि	27-11-2026
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	04-12-2026

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 27-11-2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक-27-11-2026 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक-04-12-2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-25-परीक्षा/2026, सम्मिलित अवर अभियंता (विद्युत) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/25 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता (विद्युत) एवं उक्त पद के समान अर्हता वाले कुल रिक्त 380 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

सम्मिलित अवर अभियंता (विद्युत) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/25 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test- PET-2025) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test-PET 2025) के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शार्टलिस्ट किए गये अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम/नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) चिन्हित किए गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम/निर्णय के अधीन होगी।

21/07/2026

[Signature]

[Signature]

1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2-ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया- अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भाँति समझ लें।

2.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भाँति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित/निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

2.2 अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (27-11-2026) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/Possess) करना अनिवार्य है।

2.3 आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

2.4 जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 27-11-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.15 का अवलोकन करें)।

2.5 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार (पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए) पर यथा संभव पदों आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

2.6 विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.7- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन करना होगा।

21/04/24

2.8 आवेदन(Application)-

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, शैतिज आरक्षण से सम्बन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक प्रस्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किये गये पद/ पदों का विवरण प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जिन पद/पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन पद/पदों को चयनित (Select) करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिन पद/पदों को चयनित (Select) नहीं करेंगे, उक्त पद हेतु उनका दावा स्वीकार/ मान्य नहीं होगा।
नोट- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारित करने पर ही सम्बन्धित पद / पदों को Select करते हुए आवेदन करें।
- III. अभ्यर्थी को चयनित (Select) पद/ पदों हेतु शैक्षिक योग्यता धारण करने के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।
- IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर **“Enter Verification Code”** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात **“सबमिट”** बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन क्लिक करने के पश्चात **“अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र”** प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों की पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.9 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-

इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

2.10 अन्य विवरण (Other Details)

इस भाग में अभ्यर्थी को चयनित (Select) किये गये पदों के सम्बन्ध में वरीयता अंकित करनी होगी तथा अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

2.11 घोषणा (Declaration)-

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि वह घोषणा-पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को सेलेक्ट (Checkbox को Tick) करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर **Save and Submit** बटन को क्लिक करते हुये शुल्क भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

नोट:- अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों का भली-भांति पुनः परीक्षण कर सही पाये जाने के उपरांत ही आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करें।

2.12- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI** या **SBI** के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

II- कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन-पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करने के उपरान्त शुल्क समायोजित करते हुये अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

III- शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन-पत्र के स्थान पर **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

IV- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं तो वे शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

V- ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को **SBI** का ई-चालान download कर **SBI** की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

VI- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी शुल्क का समायोजन एवं आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही अभ्यर्थी का फार्म अंतिम रूप से सबमिट हो सकेगा एवं तदुपरान्त अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

21/07/2019

VII- अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VIII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन/आवेदन शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

IX. कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही उनका आवेदन अन्तिम रूप से स्वतः सबमिट हो सकेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

X. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है।

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.13- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)-

शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होने के उपरान्त अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः सबमिट हो जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपना आवेदन-पत्र डाउनलोड व प्रिन्ट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय आवेदन-पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकता है व अपना आवेदन-पत्र प्रिंट भी कर सकता है।

3- आवेदन-पत्र में संशोधन

- अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरान्त ही वे अपने आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल

21/07/2024

नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

- पत्राचार का पता।
- अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, दिव्यांग/P.H., Ex. Service Men, लिंग (Gender), उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।
- आवेदन में अनिवार्य/अधिमानि अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।
- वैवाहिक प्रस्थिति।

विशेष नोट:- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/1/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/1/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

III. आवेदन-पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 04-12-2026 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित अध्याचनकर्ता विभाग की है।

उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं/मानक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/2025/2025/2005822/47-का-2-2025, दिनांक 30-12-2025 के क्रम में अध्याचनकर्ता विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित अध्याचन/अध्याचनों में प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर पुष्टि की गई है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित नीति/ निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

21/10/24

4

सारिणी-1

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	
1	भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश	तकनीकी सहायक (विद्युत) (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	-	01	00	00	-	01	स्थायी
2	विद्युत सुरक्षा निदेशालय	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	06	03	00	04	01	14	स्थायी व अस्थायी
3	विद्युत सुरक्षा निदेशालय	अवर अभियन्ता (विद्युत) (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	-	12	01	07	-	20	स्थायी व अस्थायी
4	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-	01	00	00	00	00	01	स्थायी
5	शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर	शोध सहायक	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	01	00	00	00	00	01	स्थायी

21 जून 2024

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति	
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी	
6	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	01	00	00	00	00	01	अस्थायी	
7	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800, ग्रेड पे-4200	01	00	00	00	00	01	अस्थायी	
8	यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत)	वेतन बैंड (9300-34800) ग्रेड-पे 4200/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 रु० (35400-112400)	02	01	00	01	00	04	अस्थायी	
9	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	विद्युतकार	लेवल-5 वेतनमान (न्यूनतम): 5200 वेतनमान (अधिकतम): 20200	23	12	01	15	05	56	अस्थायी	
10	गुरु जम्भेश्वर युनिवर्सिटी, मुरादाबाद	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800, ग्रेड पे- 4200	01	00	00	00	00	01	अस्थायी	
11	माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	01	00	00	00	00	01	अस्थायी	

21/11/2021

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	
12	माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800	01	00	00	00	00	01	अस्थायी
13	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान- 9300-34800	18	10	01	11	04	44	अस्थायी
14	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत) (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान- 9300-34800	00	01	00	01	-	02	अस्थायी
15	कार्यालय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	अवर अभियन्ता (विद्युत)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800, ग्रेड पे-4200	120	38	04	46	23	231	स्थायी व अस्थायी
16	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800, ग्रेड पे- 4200, लेवल-6	01	00	00	00	00	01	अस्थायी

21/11/20

ky

8

9

सारिणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्प्रोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
1	भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश	तकनीकी सहायक (विद्युत) (विशेष चयन)	00	-	-	-	-	-	00	00	00
2	विद्युत सुरक्षा निदेशालय	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	00 (H.H.)	00 (Dw., A.A.V.)	-	-	00	02	00
3	विद्युत सुरक्षा निदेशालय	अवर अभियन्ता (विद्युत) (विशेष चयन)	00	-	00 (H.H.)	00 (Dw., A.A.V.)	-	-	01	04	00
4	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	-	-	-	-	00	00	00
5	शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर	शोध सहायक	00	-	-	-	-	-	00	00	00
6	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	-	-	-	-	00	00	00

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां				सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्यास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता			
7	प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	-	-	-	-	00	00
8	यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., Dw., A.A.V.)	-	-	00	00
9	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	विद्युतकार	01	-	-	02 (Dw., A.A.V.)	-	-	02	11
10	गुरु जम्भेश्वर युनिवर्सिटी, मुरादाबाद	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	-	-	-	-	00	00
11	माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	-	-	-	-	00	00
12	माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मीरजापुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	-	-	-	-	00	00

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुत निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
13	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	01 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	-	-	02	08	00
14	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत) (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	-	-	00	00	00
15	कार्यालय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	अवर अभियन्ता (विद्युत)	04	-	-	09 (A.A.V.)	-	-	11	46	04
16	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहरनपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	00	-	-	-	-	-	00	00	00

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- H.H. (एच0एच0)-Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)

21 जपंत

9

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

- 5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उ० प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter- DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 5.4- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी०सी०, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई०970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई०1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/I/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 तथा कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18-04-2022 एवं सुसंगत अधिनियम/नियमावली एवं अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson) हेतु आरक्षण अनुमन्य होगा।

21/अगस्त 2024

9

6 - अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
1	भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश	तकनीकी सहायक (विद्युत) (विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग अधीनस्थ अभियन्ता और तकनीशियन सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में तकनीकी सहायक (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं हो:- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियन्त्रण में तीन वर्ष का डिप्लोमा या किसी संस्था से सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित विद्युत अभियन्त्रण में डिप्लोमा। (समकक्ष अर्हता के संबंध में सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से निर्गत पत्र संख्या- प्राशिप/परिषद/2024/1693, दिनांक- 10-06-2024 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न (संलग्नक-1) है।) <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग अधीनस्थ अभियन्ता और तकनीशियन सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2	विद्युत सुरक्षा निदेशालय	अवर अभियन्ता (विद्युत) (सामान्य एवं विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- विद्युत निरीक्षणालय अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1974 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए- (एक) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत अभियन्त्रण में डिप्लोमा। (दो) सरलतापूर्वक देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने तथा लिख सकने की योग्यता। <u>अधिमानी अर्हता</u>- विद्युत निरीक्षणालय अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1974 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के मामले में अन्य बातों के समान होने पर, उस अभ्यर्थी को अधिमानी दिया जायेगा- (एक) जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, अथवा (दो) जिसने नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
3	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। <u>नोट:-</u> समकक्ष अर्हता के संबंध में प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या- 1/488968/2024, दिनांक- 07-02-2024 विज्ञापन के साथ संलग्न (संलग्नक-2) है, जिसमें उक्त पत्र में दी गयी समकक्ष अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

21/10/24

9

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
4	शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर	शोध सहायक	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली, 1993 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में शोध सहायक पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है। (1) Must possess Diploma in Electrical Engineering from an institute recognized by the Government. (2) Must have two years teaching experience. <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली, 1993 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
5	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। (समकक्ष अर्हता के संबंध में विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-I/488968/2024, दिनांक- 07-02-2024 प्राप्त हुआ है, जो अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न (संलग्नक-2) है।) <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
6	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। <u>नोट:-</u> समकक्ष अर्हता के संबंध में विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-I/488968/2024, दिनांक- 07-02-2024 प्राप्त हुआ है, जो अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न (संलग्नक-2) है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

रजि. सं. 1/2024

8

9

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
7	यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> - यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती- 30प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) सामान्य सेवा नियमावली, 1996 यथासंशोधित (कार्यालयादेश संख्या- 4300/1-1(26)/स्था/2016, दिनांक- 23-08-2016, कार्यालयादेश संख्या- 8787/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा-11, दिनांक- 14 फरवरी, 2024 तथा आदेश संख्या- 1304/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा-11, दिनांक- 30-05-2024) के अध्याय-2 नियम-10 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास विद्युत इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। (समकक्ष अर्हता हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ को सम्बोधित उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 से निर्गत पत्र संख्या- 514/26-3-2023-1662334, दिनांक- 16-02-2024 संलग्नकों सहित संलग्न है।)
8	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	विद्युतकार	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> -उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-18 के अनुसार सेवा में विद्युतकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी लाइसेंस के साथ इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना आवश्यक है।
9	गुरु जम्भेश्वर युनिवर्सिटी, मुरादाबाद	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> - उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। (समकक्ष अर्हता के संबंध में विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या- 1/488968/2024, दिनांक- 07-02-2024 प्राप्त हुआ है, जो अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न (संलग्नक-2) है।) <u>अधिमानी अर्हता</u> - उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
10	माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> - उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। (समकक्ष अर्हता के संबंध में विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या- 1/488968/2024, दिनांक- 07-02-2024 प्राप्त हुआ है, जो अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न (संलग्नक-2) है।)

21/02/24

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
			<u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
11	माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। (समकक्ष अर्हता के संबंध में विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या- I/488968/2024, दिनांक- 07-02-2024 प्राप्त हुआ है जो अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न (संलग्नक-2) है।) <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
12	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत) (सामान्य एवं विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० इंजीनियर्स एण्ड आर्किटेक्स सेवानियमावली-1980 (यथासंशोधित) तथा विभाग के कार्यालयादेश संख्या- 120/का०-1/बोर्ड/रानिनि/2024, दिनांक- 03-02-2024 एवं उक्त कार्यालयादेश के सापेक्ष विभाग के पत्रांक 486/का०अनु०-1/बोर्ड/रानिनि/2024, दिनांक- 24-05-2024 द्वारा जारी शुद्धि-पत्र के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (विद्युत) की शैक्षिक अर्हता रखता हो।
13	कार्यालय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। (समकक्ष अर्हता के संबंध में विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या- I/488968/2024, दिनांक- 07-02-2024 प्राप्त हुआ है, जो अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न (संलग्नक-2) है।) <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

21/07/24

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
14	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर अधीनस्थ गैर शैक्षणिक (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमावलियों से विनियमित पदों से इतर पदों हेतु) सेवानियमावली, 2024 यथासंशोधित के भाग-4 के नियम-8 (10) के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर अधीनस्थ गैर शैक्षणिक (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमावलियों से विनियमित पदों से इतर पदों हेतु) सेवानियमावली, 2024 यथासंशोधित के भाग-4 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 (दो) वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश	तकनीकी सहायक (विद्युत) (विशेष चयन)	सेवा में तकनीकी सहायक (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
2	विद्युत सुरक्षा निदेशालय	अवर अभियन्ता (विद्युत) (सामान्य एवं विशेष चयन)	विद्युत निरीक्षणालय अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1974 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि पद का विज्ञापन 01 जनवरी तथा 30 जून के मध्य किया जाय तो 01 जुलाई को और यदि उक्त पद का विज्ञापन 01 जुलाई तथा 31 दिसम्बर के मध्य किया जाय तो अगले वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए और 40 वर्ष की आयु पूरी न करनी चाहिए। “प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सरकार आयोग के परामर्श से किसी अभ्यर्थी या किसी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में अधिकतम आयु-सीमा को शिथिल कर सकती है, यदि वह इसे न्यायोचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक समझे।”

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
3	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
4	शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर	शोध सहायक	सेवा में शोध सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
5	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	अवर अभियन्ता (विद्युत)	उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
6	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	अवर अभियन्ता (विद्युत)	उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जायें, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
7	यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत)	यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती- उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०) सामान्य सेवा नियमावली, 1996 यथासंशोधित (कार्यालयादेश संख्या- 4300/1-1(26)/स्था/2016, दिनांक- 23-08-2016, कार्यालयादेश संख्या- 8787/1-1(10)/स्था/2023-24/वा-11, दिनांक- 14 फरवरी, 2024 तथा आदेश संख्या- 1304/1-1(10)/स्था/2023-24/वा-11, दिनांक- 30-05-2024) के अध्याय-2 नियम-9 के अनुसार निगम के अधीन अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ प्रकाशित की जायें, 01 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
8	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	विद्युतकार	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 यथा संशोधित के भाग-4 नियम-14 के अनुसार सेवा में विद्युतकार के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी, यदि रिक्तियाँ पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, और पहली जुलाई को, यदि रिक्तियाँ पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों की स्थिति में जो निगम में पहले से कार्य कर रहे हों, उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।
9	गुरु जम्भेश्वर युनिवर्सिटी, मुरादाबाद	अवर अभियन्ता (विद्युत)	उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
10	माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
11	माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

21/10/2019

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
12	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियन्ता (विद्युत) (सामान्य एवं विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० इंजीनियर्स एण्ड आर्किटेक्स सेवानियमावली-1980 (यथासंशोधित) के CHAPTER-II के भाग 9(1) के अनुसार A candidate for direct recruitment to a post must have attained the age of 18 years and must not have attained such maximum age as may be fixed by the competent Authority from time to time, subject to directions, if any, of the Board. उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 दिनांक- 6 जून, 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। नियमावली एवं शासनादेश में विहित उक्त प्राविधानों के अनुसार अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जायें, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: 1-Provided that the upper age limit shall, in the case of candidates already working in the Nigam as regular employees, be greater by 5 years, 2-provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be specified by the Competent Authority, shall be greater by such number of years as may be notified in the Government directive in this behalf and, where there are no such directives, shall be greater by such number of years, not exceeding five years as may be directed by the Board or so authorised by the Board or the Competent Authority.
13	कार्यालय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	अवर अभियन्ता (विद्युत)	उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जायें, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
14	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर	अवर अभियन्ता (विद्युत)	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर अधीनस्थ गैर शैक्षणिक (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमावलियों से विनियमित पदों से इतर पदों हेतु) सेवानियमावली, 2024 यथासंशोधित के भाग-4 के नियम- 9 के अनुसार अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें पहली जुलाई, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-

Lupid *8*

9

4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा विज्ञापित पदों की संगत सेवानियमावलियों एवं सुसंगत शासनादेशों/कार्यकारी आदेश, जिनका उल्लेख बिन्दु-06 एवं 07 में अंकित तालिकाओं में किया गया है, के आधार पर की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा हेतु शासन के पत्र संख्या-482/47-का-3-2026, दिनांक-30-06-2026 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रस्तर-9 में उल्लिखित है। परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

9-लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजन एवं पाठ्यक्रम-

प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् $\frac{1}{4}$ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	(1) बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	05	05	दो घण्टा (120 मिनट)
	(2) मैग्नेटिक सर्किट एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म	05	05	
	(3) ए.सी. फंडामेंटल्स एवं ए.सी. मशीनें	05	05	
	(4) इलेक्ट्रिकल मैजमेंट एवं मैजरींग इंस्ट्रुमेंट्स	05	05	
	(5) डी.सी. मशीनें एवं ट्रांसफार्मर	05	05	
	(6) अल्टरनेटर एवं सिंक्रोनस मशीनें	05	05	
	(7) विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण	05	05	
	(8) एस्टिमेशन एवं कॉस्टिंग	05	05	
	(9) इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एवं अर्थिंग	05	05	
	(10) पावर सिस्टम एवं अर्थशास्त्र	05	05	
	(11) केबल्स, स्विचगियर एवं प्रोटेक्शन सिस्टम	05	05	
	(12) विद्युत ऊर्जा का उपयोग	05	05	
	(13) बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स	05	05	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

नोट- उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् $\frac{1}{4}$ होगी।

राजवंत

9

पाठ्यक्रम
भाग-1
(विषयगत ज्ञान)

(1) बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग-

करंट, वोल्टेज, पावर एवं ऊर्जा की अवधारणा, प्रतिरोध (Resistance), इंडक्टेंस (Inductance), कैपेसिटेंस (Capacitance), सरल विद्युत परिपथ (Simple Circuits), सर्किट नियम (Circuit Laws)

(2) मैग्नेटिक सर्किट एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म -

चुंबकीय पदार्थों के प्रकार, फ्लक्स एवं एम.एम.एफ. (MMF), मैग्नेटिक सर्किट गणनाएँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एवं म्यूचुअल इंडक्शन

(3) ए.सी. फंडामेंटल्स एवं ए.सी. मशीनें-

प्रत्यावर्ती धारा की मूल अवधारणाएँ, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एवं डेल्टा कनेक्शन, थ्री-फेज पावर, ए.सी. वेवफॉर्म का औसत मान, 3-फेज इंडक्शन मोटर्स, वोल्टेज एवं फ्रीक्वेंसी परिवर्तन का गति पर प्रभाव, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, विशेषताएँ एवं अनुप्रयोग

(4) इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एवं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स-

शक्ति एवं ऊर्जा का मापन, फ्रीक्वेंसी एवं फेज एंगल का मापन, अमीटर एवं वोल्टमीटर (Moving Coil एवं Moving Iron), वाटमीटर, मल्टीमीटर, सी.आर.ओ. (CRO), सिग्नल जनरेटर, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन

(5) डी.सी. मशीनें एवं ट्रांसफार्मर -

डी.सी. मशीन का निर्माण, डी.सी. मोटर एवं जनरेटर का सिद्धांत, मोटर ब्रेकिंग की विधियाँ निर्माण एवं कार्य सिद्धांत, वोल्टेज रेगुलेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर

(6) अल्टरनेटर एवं सिंक्रोनस मशीनें-

3-फेज ई.एम.एफ. जनरेशन, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, दो अल्टरनेटरों का पैरालल ऑपरेशन

(7) विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण-

विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर स्टेशन के प्रकार, पावर स्टेशन इंटरकनेक्शन

(8) एस्टिमेशन एवं कॉस्टिंग-

विद्युत अनुमान एवं लागत, लाइटिंग स्कीम का अनुमान

(9) इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एवं अर्थिंग-

मशीनों का विद्युत इंस्टॉलेशन, आई.ई. नियम (IE Rules), अर्थिंग प्रैक्टिसेस, सुरक्षा नियम

(10) पावर सिस्टम एवं अर्थशास्त्र-

लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, उत्पादन लागत, पावर फैक्टर सुधार, विभिन्न प्रकार के टैरिफ

(11) केबल्स, स्विचगियर एवं प्रोटेक्शन सिस्टम

केबल के प्रकार, केबल रेटिंग एवं डिरेटिंग फैक्टर, स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर रेटिंग, फॉल्ट्स के प्रकार, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज सुरक्षा, ओवर करंट सुरक्षा

21/04/17

9

(12) विद्युत ऊर्जा का उपयोग

इल्यूमिनेशन (Lighting), इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एवं मोटर्स

(13) बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स

विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का कार्य सिद्धांत, सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
 - ✓ हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।
 - ✓ इनपुट एवं आउटपुट।
 - ✓ इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आईपीओ एड्रेस।
 - ✓ आईटीओ गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग।
 - ✓ ई-मेल आईडीओ को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन।
 - ✓ प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन।
 - ✓ वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व।
 - ✓ ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस।
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

(उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी)

प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

राजदीप Ky 8

9

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer for the examination, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, subjects, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part-1	(1) Basic Electrical Engineering	05	05	Two Hours (120 Minutes)
	(2) Magnetic Circuits and Electromagnetism	05	05	
	(3) AC Fundamentals and AC Machines	05	05	
	(4) Electrical Measurement and Measuring Instruments	05	05	
	(5) DC Machines and Transformers	05	05	
	(6) Alternators and Synchronous Machines	05	05	
	(7) Electrical Generation, Transmission, and Distribution	05	05	
	(8) Estimation and Costing	05	05	
	(9) Electrical Installation and Earthing	05	05	
	(10) Power Systems and Economics	05	05	
	(11) Cables, Switchgear and Protection Systems	05	05	

21/10/17 By S

Q

	(12) Utilization of Electrical Energy	05	05
	(13) Basic Electronics	05	05
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15
Part-3	General information related to the state of Uttar Pradesh	20	20
Total		100	100

Note- There is a provision of negative marking for each wrong answer for the above examination, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of marks prescribed for that question.

SYLLABUS

Part-1

(Subject related Knowledge)

(1) Basic Electrical Engineering-

Concepts of current, voltage, power, and energy; resistance, inductance, capacitance; simple electric circuits; circuit laws

(2) Magnetic Circuits and Electromagnetism-

Types of magnetic materials; flux and MMF; magnetic circuit calculations; electromagnetic induction; self and mutual induction

(3) AC Fundamentals and AC Machines -

Basic concepts of alternating current; polyphase systems; star and delta connections; three-phase power; average value of AC waveforms, 3-phase induction motors; effect of voltage and frequency changes on speed; fractional kilowatt motors; single-phase induction motors; characteristics and applications

(4) Electrical Measurement and Measuring Instruments-

Measurement of power and energy; measurement of frequency and phase angle; ammeters and voltmeters (Moving Coil and Moving Iron); wattmeters; multimeters; CRO; signal generators; earth fault detection

(5) DC Machines and Transformers-

Construction of DC machines; principles of DC motors and generators; methods of motor braking, Construction and working principles; voltage regulation; autotransformers

21/10/21

g

(6) Alternators and Synchronous Machines-

3-phase EMF Generation, armature reaction, voltage regulation, parallel operation of two alternators

(7) Electrical Generation, Transmission, and Distribution-

Electrical generation, transmission and distribution systems, types of power stations, power station interconnection

(8) Estimation and Costing-

Electrical estimation and costing, estimation of lighting schemes

(9) Electrical Installation and Earthing-

Electrical installation of machines, IE Rules, earthing practices, safety rules

(10) Power Systems and Economics-

Load factor, diversity factor, demand factor, generation cost, power factor improvement, various types of tariffs

(11) Cables, Switchgear and Protection Systems-

Types of cables, cable rating and derating factors, switchgear, circuit breaker ratings, Types of faults, short circuit, earth leakage protection, over-current protection

(12) Utilization of Electrical Energy-

Illumination (lighting), electric heating, electric welding, electroplating, electric drives and motors

(13) Basic Electronics-

Working principles of various electronic devices, simple electronic circuits

Part-2

(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
 - ✓ Hardware and Software.
 - ✓ Input and Output.
 - ✓ Internet Protocol/IP Address.
 - ✓ IT gadgets and their application.
 - ✓ Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail.
 - ✓ Operation of Printer, Tablet and Mobile.

2/11/17

Ky 2

g

- ✓ Important elements of Word Processing (MS-Word) and Excel Processing (MS-Excel).
- ✓ Operating System, Social Networking, e-Governance.
- Digital Financial Tools and Applications.
- Future Skills and Cyber Security.
- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part-3

(General Information related to The State of Uttar Pradesh)

In this part of the question paper, questions based on History, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dance, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forest, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity, Administration of Uttar Pradesh and Current Events and Achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc. will be asked from the candidates.

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-25-परीक्षा/2026, सम्मिलित अवर अभियंता (विद्युत) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/25 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- 11.04- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 27-11-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,

राजेश्वरी

4

1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

- 11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11.06- महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- 11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से प्रश्रुत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 11.11- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ द्वारा "उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026" निर्गत की गयी है। तदनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो को उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- 11.12- अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.13- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।
- 11.14- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिला आरक्षण के अंतर्गत शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, (यथासंशोधित) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-

अ/प्र०

9

2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

- 11.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 27-11-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11.16- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 11.17- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 11.18- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 11.19- आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.20- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 11.21- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

21/07/2020

9

- 11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 11.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग की वेबसाइट <https://upsssc.gov.in> के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.25- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 11.26- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- 11.27- किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।
- 11.28- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्रुत परीक्षा में लागू रहेंगे। किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 11.29- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

21/07/24

12.10.26

सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

लखनऊ

संलग्नक-1

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ० प्र०,
भूजल भवन (रा०भू०सू०प्र०के०),
ग्राम— हरिहरपुर (निकट दिल्ली पब्लिक स्कूल, शहीद पथ),
लखनऊ।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2024/

लखनऊ: दिनांक:

विषय: उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 849/का-2/2021,
दिनांक: 07 अक्टूबर, 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की
समकक्षता अर्हता के संबंध में।

महोदय,

कृपया, अपने कार्यालय के पत्रांक: 270/भू०ज०वि०/एल-9(अध्याचन)/टी०ए०.जे०ई०,
दिनांक: 10.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा भूगर्भ जल विभाग, उ० प्र० में श्रेणी-तृतीय (तकनीकी अधिष्ठान) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल), तकनीकी सहायक (सिविल), सर्वेयर (सिविल), तकनीकी सहायक (यांत्रिक) एवं तकनीकी सहायक (विद्युत) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु प्रेषित अध्याचन में भर्ती के नियमों में निर्धारित "प्राविधिक अर्हता" के समकक्षता जो राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर अर्हता की जानकारी चाही गयी हैं, के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पालीटेक्निक संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संचालित होती है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक (APH 2022-23) के Annexure-7 में उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे संबंधित Relevant/Appropriate Branches की सूची संलग्न हैं, जिसे अर्हता के समकक्ष माना जा सकता है।

संलग्न सूची के अनुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2024/1693

तददिनांक: 10/06/2024

प्रतिलिपि: सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

ANNEXURE-7

Major Disciplines, their corresponding Courses and Relevant/ Appropriate Branch of Diploma In Engineering and Technology

		Computer Science and Engineering
		Computer Science
		Computer Science and Technology
		Computer Science and Systems Engineering
		Computer Software Technology
		Computer Technology
		Computer Technology and Applications
		Cyber Forensics and Information Security
		Computer Applications
		Network Engineering
		Web Designing
		Web Technologies
		Electronics and Computer Engineering
		Computer Science and Information Technology
		Information and Communication Technology
		Information Engineering
		Information Science
	Information Technology	Information Science and Engineering
		Information Science and Technology
		Information Security Management
		Information Technology
		Information Technology and Engineering
		Information Technology Enabled Services and Management
		Advanced Communication and Information System
		I.T. (Courseware Engineering)
		Computer and Information Science
Dairy Engineering		Dairy Engineering
Electrical Engineering		Electrical and Electronics (Power System)
		Electrical and Electronics Engineering
		Electrical and Instrumentation Engineering
		Electrical and Mechanical Engineering
		Electrical and Power Engineering
		Electrical Energy Systems
		Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
		Electrical Engineering
		Electrical Engineering (Electronics and Power)
		Electrical Engineering (Industrial Control)
		Electrical Machines
		Electrical Power Systems
		Power Systems Engineering
		Electronics and Electrical Engineering
Electronics and Communication Engineering	Electronics Engineering	Applied Electronics
		Digital Electronics
		Digital Electronics and Microprocessor
		Digital Systems
		Electrical and Electronics (Power System)

संलग्नक-2

File No.23-4099(099)/61/2022- -4-

102

/488968/2024

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०),

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 07/02/2024

विषय- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (एक) व (दो) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07.10.2021 द्वारा भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरान्त चयन हेतु अध्यापन प्रेषित किये जाने के निर्देश विभागों को दिये गये हैं। इसी क्रम में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के पत्र संख्या-6061 व्यघ/4184 व्यघ/2021, दिनांक 06.12.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक)(समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (एक) व (दो) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की समकक्षता निर्धारित कराने के संबंध में शासन स्तर से दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता(सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014" के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या-08 शैक्षिक अर्हता में निम्नवत् प्राविधान है: .

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो ।

(दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज के पत्रांक-परिषद-9/989 दिनांक 29.12.2022 (छाया प्रति संलग्न) के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्श के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक)(समूह 'ग')

सेवा नियमावली, 2014 के भाग चार-अर्हताएं के विन्दु संख्या-08(एक) में उल्लिखित "माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा" के रूप में निम्नलिखित परीक्षायें मान्य होंगी :-

- 1- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)
- 2- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, गुवाहाटी, असम।
- 3- बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।
- 4- सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली।
- 5- छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, रायपुर।
- 6- काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली।
- 7- दयालबाग एजुकेशन इस्टीयूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) आगरा।
- 8- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, गोवा।
- 9- गुजराज सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर गुजरात।
- 10- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी।
- 11- हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला, कांगड़ा।
- 12- जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
- 13- झारखण्ड एकेण्डमी काउन्सिल, राँची।
- 14- कर्नाटका सेकेण्डरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगलौर।
- 15- केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, तिरुवनन्तपुरम।
- 16- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, पुणे।
- 17- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 18- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 19- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
- 20- मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, ऐजाल।
- 21- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
- 22- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा, कटक।
- 23- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
- 24- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर।
- 25- स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एग्जामिनेशन, (सेकेण्डरी) एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी, एग्जामिनेशन, तमिलनाडु।

- 26- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, अगरतला।
- 27- वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, कोलकता।
- 28- बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
- 29- उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा, अरबी और मुंशी परीक्षा फारसी।
- 30- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।
- 31- राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गयी हो।
- 32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (मैट्रिकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षायें जिसके सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
- 33- ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसाय प्रमाण-पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा। (विज्ञप्ति संख्या: परिषद-9/1103 दिनांक 18.03.16 द्वारा जोड़ा गया।
- नोट- आई०टी०आई० के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा-10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई०टी०आई० के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।
- 34-गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विषाधिकारी परीक्षा।
- नोट- उक्त विनियम संशोधन दिनांक 8 मार्च 2014 से प्रभावी माना जाय।
- 35- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो सहित उत्तीर्ण की गई हो।
- उक्त विनियम संशोधन वर्ष 1998 से प्रभावी माना जाय।
- (दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/707 दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा संशोधित।)

4- इसी प्रकार उ०प्र० लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली-2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (दो) में उल्लिखित "प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता" में समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किये जाने हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर में दिनांक 18.09.2023 को कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में उपस्थित विषय विशेषज्ञों द्वारा ए०आई०सी०टी०ई० के एपीएच-2023-24 को आधार मानते हुए सिविल/विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत पढाये जा रहे पाठ्यक्रमों पर विचार-विमर्श कर शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के संबंध में निर्धारित अभिमत, जो निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्र सं०-27424/ई-प्रशा०(अर्हता) दिनांक 26.09.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ, के आधार पर प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्श के क्रम में, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली-2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (दो) में उल्लिखित "प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता" के रूप में निम्नानुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होंगे :-

(1) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

- Civil and Rural Engineering
- Civil (SFS Mode)
- Civil Draftsman
- Civil Engineering
- Civil Engineering and Planning
- Civil Engineering (Building Services Engineering)
- Civil Engineering (Construction Technology)
- Civil Engineering (Construction)
- Civil Engineering (Rural Engineering)
- Civil Technology
- Construction Engineering
- Construction Technology
- Construction Technology and Management
- Geo informatics and Surveying Technology
- Geographic Information System and Global Positioning System
- Quantity Surveying and Construction Management
- Survey Engineering
- Transportation Engineering
- Civil and Environmental Engineering
- Civil (Public Health and Environment) Engineering
- Civil Engineering (Environment and Pollution control)
- Civil Engineering (Environmental Engineering)
- Civil Engineering (Public Health Engineering)
- Civil Environmental Engineering

- Environmental Engineering
- Water Resource Management
- Civil Engineering (Water Resource and Management)
- Water Technology and Health Science

(2) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

- Electrical and Electronics (Power System)
- Electrical and Electronics Engineering
- Electrical and Instrumentation Engineering
- Electrical and Mechanical Engineering
- Electrical and Power Engineering
- Electrical Energy Systems
- Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
- Electrical Engineering
- Electrical Engineering(Electronics and Power)
- Electrical Engineering (Industrial Control)
- Electrical Machines
- Electrical Power Systems
- Power Systems Engineering
- Electronics and Electrical Engineering

(3) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

- Automobile Engineering
- Automobile Engineering(Automobile Fitter)
- Automotive Engineering
- Mechanical Engineering(Automobile)
- Mechanical Engineering Automobile
- Energy Systems Engineering
- Heat Power Engineering
- Maintenance Engineering
- Mechanical Engineering(Industry Integrated)
- Mechanical Engineering
- Mechanical Engineering (Maintenance)
- Mechanical Engineering (Refrigeration and Air Conditioning)
- Mechanical Engineering Power Plant Engineering
- Mechanical Engineering Tube Well Engineering
- Mechanical Engineering (Repair and Maintenance)
- Navy Entry Artificer/Diploma in Mechanical and Electrical
- Refrigeration and Air Conditioning
- CAD CAM
- Design and Drafting
- Fabrication Technology
- Fabrication Technology and Erection Engineering
- Foundry Technology
- Industrial and Production Engineering
- Industrial Engineering and Management
- Machine Engineering
- Machine Tools and Maintenance Engineering
- Machine Tools Technology
- Manufacturing Engineering
- Manufacturing Technology
- Material Management
- Mechanical(Computer Aided Design, Manufacture and Engineering)

- Mechanical CAD/CAM
- Mechanical Engineering (Automobile)
- Mechanical Engineering (Tool and Die)
- Mechanical Engineering Automobile
- Mechanical Engineering Production
- Mechanical Engineering Specialization In CAD
- Mechanical Engineering Tool Engineering
- Mechanical Engineering (CAD/CAM)
- Mechanical Engineering (Foundry)(SW)
- Mechanical Engineering (Machine Tool Maintenance and Repairs)
- Mechanical Welding and Sheet Metal Engineering
- Precision Manufacturing
- Production and Industrial Engineering
- Production Engineering
- Production Technology
- Tool and Die Making
- Tool and Die Engineering
- Tool and Die Under Mechanical Engineering
- Tool Die and Mould Making
- Mechatronics
- Robotics and Mechatronics

5- कृपया उक्त निर्धारित समकक्ष अर्हता के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by मान

धीरेन्द्र राय

(लाल धीरेन्द्र राय) 22-2-2024 16:51:10

Reason: Approved

विशेष सचिव।

परिशिष्ट-1

प्रारूप-1।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....नियासी.....ग्राम.....तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि
समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका पारवार उत्तर प्रदेश
के ग्रामतहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त
जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य
वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्रामतहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 50प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 50प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-राज्य संख्या-3/2019/अ.व.2002/सू.2/19डी.जी.जी. दिनांक-14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

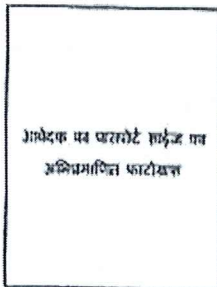
पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिसका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

परिशिष्ट-4

कार्यालय-नाम संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कुई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं
पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती-----नियासी ग्राम-----
-----तहसील-----नगर-----
जिला-----"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) -----पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरंकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) -----
--के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी (सील)

परिशिष्ट-6

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

FORM-I

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

- (1) Name : _____
(Surname) (First Name) (Middle Name)
- (2) Father's Name : _____ Mother's Name: _____
- (3) Date of Birth : _____ / _____ / _____
(Date) (Month) (Year)
- (4) Age at the time of application : _____ years
- (5) Sex: Male/Female/Transgender _____
- (6) Address:
(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

(c) Period since when residing at current address _____
- (7) Educational Status (please tick as applicable)
- (i) Post Graduate
 - (ii) Graduate
 - (iii) Diploma
 - (iv) Higher Secondary
 - (v) High School
 - (vi) Middle
 - (vii) Primary
 - (viii) Non-literate
- (8) Occupation _____
- (9) Identification marks (i) _____ (ii) _____
- (10) Nature of disability :
- (11) Period since when disabled: From Birth//since year _____
- (12) (i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ yes/no
(ii) If yes, details:
(a) Authority to whom and district in which applied _____
(b) Result _____ of _____ application
- (13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :

Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).
 - (a) ration card,
 - (b) voter identity card,
 - (c) driving license,
 - (d) bank passbook,
 - (e) PAN card,
 - (f) passport,
 - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,
- (i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.
2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

परिशिष्ट-7

Form-II Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.
son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth
(DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No.
_____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street
_____ Post Office _____ District _____ State _____
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor
disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines
(.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate .

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Chairperson
Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

परिशिष्ट-8

Form - III Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -

In figures : percent

In words : percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

परिशिष्ट-9

Form -IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum _____ son/wife/daughter of Shri

_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____

_____ Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____

permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____

Post Office _____ District _____ State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of

_____ disability. His/her extent of percentage physical

impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the

guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

